

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन हेतु प्रफोर्मा

सेवा में.....

कार्यालयाध्यक्ष,

.....

.....

विषय:— छठे वेतन आयोग की सिफारिश के संदर्भ में पेंशन /पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

1. पेंशनर का नाम :
2. जन्मतिथि :
3. पद और कें० सिविल
पेंशनर की सेवानिवृत्ति की तिथि :
4. कार्यालय का पता, जहाँ से वह
सेवानिवृत्त हुआ हो :
5. पेंशनर की मृत्यु की तिथि
(यदि आवेदन पारिवारिक पेंशनर द्वारा
किया गया हो) :
6. पेंशनर भुगतान आदेश संख्या :
7. बैंक और शाखा का नाम :
8. शाखा का पता (पिन कोड सहित) :
9. खाता सं. :
10. वर्तमान पता (पिन कोड सहित) :
11. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का
दूरभाष सं. और ई-मेल आई.डी. :
12. पति/पत्नी का ब्यौरा जो पी.पी.ओ
या पारिवारिक पेंशन पाने के लिए
संयुक्त रूप से सह-प्राधिकृत हों
(जन्म तिथि प्रमाण-पत्र संलग्न करना
होगा)
- (क) पति या पत्नी/पारिवारिक पेंशनर का नाम :
- (ख) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा) :
- (ग) प्रमाण के लिए संलग्न दस्तावेजों के नाम :

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

जारी....

नोट:-

1. मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के सभी पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय अध्यक्ष को जमा करवा दें, जहाँ से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है।
2. पति या पत्नी/पात्र पारिवारिक सदस्य की जन्म तिथि के प्रमाण-पत्र के समर्थन में निम्न में से कोई एक दस्तावेज जमा करवाया जा सकता है:-
 - (i) पैन कार्ड
 - (ii) दसवीं कक्षा का प्रमाण -पत्र (जिसमें जन्म तिथि के संबंध में सूचना दी गई हो)
 - (iii) पासपोर्ट
 - (iv) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड
 - (v) ड्राइविंग लाइसेंस (यदि इसमें जन्म तिथि है तो)
 - (vi) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान-पत्र भी निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि:
 - (क) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है।
 - (ख) पेंशनर यह प्रमाणित करे कि उसके पास दर्शाये गए (i) से (v) तक में कोई दस्तावेज नहीं है।
 - (vii) यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर उपरोक्त (i) से (v) तक दर्शाये गए दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज जमा करवाने में असमर्थ रहता है परंतु कुछ अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का दावा करता है तो ऐसा मामला प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका इस बारे में अंतिम निर्णय होगा। (पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के दिनांक 21.05.2009, 11.08.2009 और 28.09.2010 के आदेश संख्या 38/37/08 का इस संदर्भ में अवलोकन कर सकते हैं।)
- 3) उपरोक्त सूचना इस मामले के शीघ्र निपटान में मदद करेगी। उपरोक्त सूचना/आवेदन पत्र की अनुपस्थिति में, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन की प्रक्रिया में विलंब हो सकती है और विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष को उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मामले को संशोधित किया जाएगा।
- 4) जिस बैंक से पेंशन का संवितरण किया जा रहा है, यदि यहाँ पहले ही उनके दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए हैं, तो इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए।

5) यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उस कार्यालय के बारे में पता नहीं है, जहाँ सूचना उपलब्ध करवानी होगी, तो यह वरिष्ठ लेखा अधिकारी, विशेष कक्ष, केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय, त्रिकूट-II, आर.के.पुरम, नई दिल्ली को भेजा जा सकता है।